वैश्वीकरण बनाम संरक्षणवाद

निशा शर्मा
लोक प्रशासन विभागए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
Email: nishscholar@gmail.com

1. परिचय

आज हर पल विश्व छोटा होता जा रहा है और मनुष्य की पहुँच का विस्तार होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण स्थानीय वस्तुओं, घटनाओं एवं विशेषताओं को वैश्विक स्तर का बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें समस्त विश्व एक समाज की भॉति कार्य करता है। ऐसा समाज, जिसमें धन, सूचना, सेवा एवं उत्पाद विश्व के एक भाग में उत्पादित होते हैं और पूरी दुनिया में उपलब्ध होते हैं। बहरहाल वैश्वीकरण को हम जिस रूप में जानते हैं उसकी वास्तविक शुरूआत 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल के वास्को – डी गामा व स्पेन के कोलम्बास ने ही कर दी थी। एक ऐसी शुरूआत जिसने यूरोपिय देशों का वैश्विक विस्तार किया और इन्हें एक बड़े पैमाने पर महाद्वीपों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और विभिन्न संस्कृतियों से जोड़ा। यद्यपि आधुनिक रूप में वैश्वीकरण का प्रयोग 1980 में प्रारम्भ हुआ एवं 1990 में यह अवधारणा लोकप्रिय हुई।

वहीं इसके विपरीत यदि हम संरक्षणवाद की बात करे तो संरक्षणवाद महज एक विचार धारा नहीं वरन् प्राकृतिक न्याय का एक सिद्वान्त है, स्व–सुरक्षा की एक भावना है, स्वंय का विकास करने की एक आकांक्षा है एवं मानव जाति के उन्नयन एंव स्वर्णिम भाग्य की एक सुरक्षित पहल है।

वैश्वीकरण ने धनवान को अधिक धनिक एंव निर्धन को निर्धनतम बनाया है। इसी असमानता से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु संरक्षणवाद प्रारम्भ हुआ । वैश्वीकरण ने महज सीमाओं को ही वैश्वीकृत नहीं किया वरन् बीमारियों, प्रदूषण, अन्यायपूर्ण कार्य परिस्थितियों, सामाजिक अन्याय (रंगभेद, वर्गभेद) एंव प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबन्धन आदि का भी वैश्विक स्तर पर विस्तार किया है। और इन सबको रोकने का उपाय अपने–अपने राष्ट्र की सुरक्षा अर्थात संरक्षणवाद के रुप में उभर कर आया है। संरक्षणवाद एक आर्थिक नीति है, जिसके द्वारा विभिन्न माध्यमों जैसे – आयातित माल पर टैरिफ, संरक्षणवादी कोटा एंव विभिन्न सरकारी विनियम, आदि के द्वारा दो राष्ट्रों के मध्य व्यापार को नियन्त्रित करते हैं। अतः संक्षेप में संरक्षणवादी नीतियों के द्वारा एक राष्ट्र अपने कार्मिकों, उघोंगो एंव उत्पादों को संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार संरक्षणवाद एक प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार करता है। संरक्षणवादी विचारकों द्वारा संरक्षणवाद आज व्यापार घाटे को कम करने, रोजगार निर्माण कुछ निश्चित उघोगो की प्रगति के लिए किया जाने वाला 'वैश्वीकरण– विरोधी' आन्दोलन के रुप में उभर कर आया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिण्टन ने इतिहास को साक्षी मानते हुए कहा था कि – आज तक किसी भी पीढ़ी को ऐसा सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ जो हमें प्राप्त हुआ है। वह है – एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण का जिसमें, कोई पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा। यह हमारे लिए गम्भीर उत्तरदायित्व निभाने का एक बेहतरीन अवसर है। इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, जो विश्व के एकीकरण की एक प्रक्रिया है। इस एकीकृत विश्व में नागरिक वस्तुओं, सेवाओं से लेकर विचारों एवं नवाचारों तक का आदान–प्रदान करते हैं।

अब, वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दृष्टिकोण की बात करें तो उनके विचारों का मुख्य सार 'एकला चलो' अर्थात् 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति है। इसके तहत विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं एवं नागरिकों के आवागमन पर टेरिफ, कोटा एवं वीजा के माध्यम से विभिन्न प्रतिबन्ध लगाने प्रारम्भ कर दिये गए हैं। ट्रम्प सरकार ने अमेरिका द्वारा प्रशान्त–पारीय, उत्तरी अटलान्टिक देशों एवं अटलान्टिक–पारीय देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतो जैसे – TPP, NAFTA एवं TTIP को भी समाप्त करने की घोषणा कर दी है। इन सभी कदमों का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी उत्पादकों, व्यापारियों एवं कार्मिकों को आयातित प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना है यही विचारधारा संरक्षणवाद कहलाती है। क्लिण्टन बनाम ट्रम्प अर्थात वैश्वीकरण बनाम संरक्षणवाद की यह दुविधा अमेरिका ही नहीं वरन सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान है। वर्तमान वैश्विक परिवेश पर यदि हम एक विहंगम दृष्टि डालें तो सम्पूर्ण विश्व मुख्यतः दो भागों में विभाजित नजर आता है।

संरक्षणवादी पश्चिम – इसमें पश्चिम के विकसित देश सम्मिलित है, जो संरक्षणवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दे रहे है। मसलन – ब्रिटेन का 'ब्रेक्जिट', अमेरिका का 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' बाई ' अमेरिका फर्स्ट' विश्व के विकसित एवं उभरते देशों से समूह जी–20 ने संरक्षणवादी नीतियों को अपनाने पर बल दिया है। EU देश TTI एवं TPP के विरोध में लामबद्ध हो चुका है, इसी का परिणाम है कि पेरिस इटली की उर्जा – फर्म के मुँह पर दरवाजा बन्द कर राह है, तो अमेरिकी सीनेटर अपने बन्दगाहों पर विदेशी नागरिकों एवं माल के विरोध में मार्च निकाल रहे हैं एवं यूरोप में पहुँचने वाले चाईना माल को टैरिफ से रोक कर स्थानीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

2. वैश्वीकृत पूर्व

इसमे एशिया, मध्य एशिया एवं अफ्रिका महाद्वीप के विकासशील एवं अल्पविकसित देश है। जहाँ मुक्त व्यापार समझौते, उदारीकृत कर व्यवस्था एवं निवेश आकृष्ट करने हेतु नियमों के सरलीकरण की प्रक्रिया आज भी बदस्तूर जारी है। यह यहाँ की जनता एवं सरकार का वैश्वीकरण में बढते विश्वास को अभिव्यक्त करता है। हम यह निस्संकोच कह सकते है कि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था एशिया में शिफ्ट हो चुकी है। इस क्षेत्र में सर्वप्रमुख है – 'एशियन टाइगर्स' जो इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार की सफलता का सबसे बड़ा उदारहण है। दूसरा, विश्व के सबसे बड़े बाजार एवं मैन पॉवर युक्त भारत है, जो स्वयं में एक विश्व है। यहाँ की विविधता ने ही यहाँ 'वसुधैव कुटुम्बकम' की संस्कृति को पल्लवित एवं पोषित किया है। चीन एवं जापान इस क्षेत्र की महाशक्तियाँ हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था निर्यातोन्मुखी है। वहीं दूसरी और अफ्रीका एवं एशिया के विकासशील व अल्पविकसित राष्ट्र हैं, जो विकास के लिए विदेशी निवेश, एवं विदेशी व्यापार पर निर्भर है। अतः संरक्षणवादी नीतियाँ इन राष्ट्रों के लिए वज्रपात के समान होंगी।

उपर्युक्त दोनों स्थितियों का विश्लेषण करने के पश्चात् अगर हम यह सोंचे कि ऐसा अचानक क्या हो गया कि वैश्वीकरण के स्थान पर संरक्षणवाद नीति – निर्माताओं की नीतियों का मुख्य आधार बन गया है। तो जवाब है – 2007 – 08 की वैश्विक आर्थिक मन्दी जिसने, दुनिया भर के अर्थशास्त्रीयों को अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने हेतु बाध्य कर दिया, ओर इस विचार मन्थन से जो निष्कर्ष उभर कर आया है वह है – 'वैश्वीकरण का अन्त और संरक्षणवाद का प्रारम्भ।

यह सत्य है कि कि संरक्षणवाद लघुकाल के लिए लाभप्रद हो सकता है लेकिन इसके साथ ही वह भी सत्य है कि इससे महज घरेलू समस्याओं का ही समाधान हो पाएगा, जबकि वैश्विक समस्याएँ अधिक विकराल रूप धारण करके हमारे समक्ष उपस्थित होगी मसलन – बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जब सिमटेगी तो वे एक राष्ट्र में जहाँ, उनकी आवश्यकता अधिक है वहाँ – अनुत्पादकता, बेरोजगारी एवं अभावों को छोड़कर जाएँगीं वहीं गृह राष्ट्र मे अनावश्यक बोझ के समान होंगी जैसे – एडीडास ने नियतनाम में अभाव एवं जर्मनी में अतिरिक्त बोझ की स्थिति उत्पन्न की है। इसी प्रकार ट्रम्प सरकार अमेरिका में यदि आई – फोन का निर्माण करना चाहे तो कच्चे माल एवं सस्ते श्रम जैसी अनेक समस्याओं से जूझकर वे जिन आई–फोन का उत्पादन करेगे वे इतने महँगे होंगे कि आम नागरिक की पहुँच से दूर हो जाएंगे। अतः आज विश्व इस हद तक एकीकृत हो चुका है कि अनेक वस्तुओं का उत्पादन विभिन्न राष्ट्रों पर निर्भर करता है जैसे – फोर्ड कार, भारतीय करेन्सी सोनी म्यूजिक सिस्टम एवं अनेक मशीनों का भविष्य भी धर्मसंकट में फँस जाएगा। सारांशतः कहें तो अनेक कम्पनियों को अपने उत्पादन हेतु बाजार नहीं मिलेंगे वहीं कई बाजारों को उत्पाद नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में यह घोषित करना कि वैश्वीकरण अपने अन्त की ओर उन्मुखी है, एक अपरिपक्व सोच होगी। वैश्वीकरण महज मुक्त सीमाओं या मुक्त व्यापार से युक्त आर्थिक एकीकरण तक सीमित नहीं रहा है वरन् इसने विविध रूपों में विश्व का एकीकरण किया है जैसे –

2.1 वैचारिक वैश्वीकरण

तकनीकि विकास ने आज हमें संचार, उपग्रह, इन्टरनेट और टेलीकोम जैसे अनेक संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, इनके द्वारा विश्व की भौगोलिक सीमाओं एवं दूरियों का संकुचन करने के साथ ही वैश्विक मानव भी परस्पर निकट आया है। यह एक ऐसे विश्व की वकालत करते है। जो अधिक खुला एवं अधिक कनेक्टेड हो।

2.2 सांस्कृतिक वैश्वीकरण

वैश्विक सम्पर्क से आज अमारी आदतें, तरीके एवं परस्पराएं सभी वैश्विक हो चुके हैं। आज, हमने न केवल वैश्विक विचारों एवं उत्पादों का उपभोग किया है वरन् पारस्परिक संस्कारों एवं संस्कृतियों को भी अपनाया है। आज प्रत्येक व्यक्ति, नई प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को अपनाकर एक 'विश्व संस्कृति' का निर्माता एवं भोक्ता बन चुका है।

2.3 परिस्थितिकी वैश्वीकरण

वैश्वीकरण ने सीमाओं को ही मुक्त नहीं किया वरन् सीमा पार से आने वाली आक्रामक प्रजातियों, प्रदूषित हवा एवं प्रदुषित जल को भी सीमा मुक्त कर दिया है।

2.4 कानूनों का वैश्वीकरण

आज विश्व स्तर पर लागू अधिकांश कानून राष्ट्रीय के बजाय अन्तर्राष्ट्रीय हो चुके हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्त कोष आदि संस्थाओं द्वारा निर्मित एवं क्रियान्वित कानून वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू होते हैं।

2.5 नव आर्थिक वैश्वीकरण

इसमें ई–कॉमर्स में संलग्न एक लाख से अधिक कम्पनियाँ सम्मिलित है, जो वैश्वीकरण को ओर अधिक उदार एवं विश्व को ओर अधिक करीब लाने की ओर उन्मुख हैं। ताकि वैश्विक अवसरों का लाभ उठाकर स्वयं को अधिक सशक्त बनाया जा सकें।

2.6 सामाजिक वैश्वीकरण

आज विश्व के सभी नागरिक व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान एवं रोजगार हेतु विदेशों में निवास कर रहे है। ऐसे निवासी अपने गृहराष्ट्र से भी सम्बद्ध होते हैं जो दोनों देशों के समाजों के मध्य कड़ी का कार्य करते हुए समाज के वैश्वीकरण को सफल बनाते हैं।

2.7 राजनीतिक वैश्वीकरण

विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में सभी देशों के नागरिक निवास कर रहे है। इन निवासी नागरिकों को उन देशों में मतदान का अधिकार भी प्राप्त है, जिनके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की नीतियों को प्रभावित कर रहा हैं ऐसे में संरक्षणवाद कहाँ तक सफल हो पाएगा यह भविष्य के गर्भ में समाहित है।

इस विश्लेषण के पश्चात् हम यह निष्कर्ष तो कतई नहीं निकाल सकते कि वैश्वीकरण अन्तोन्मुखी है। माना कि पश्चिमी देशों में निवेश एवं रोजगार की कमी आई हैं, लेकिन संरक्षणवाद को एक नई वैश्विक व्यवस्था के रूप में प्रचारित करना पश्चिमी देशों की दोगली नीति का परिचायक है। पश्चिमी देशों की मुक्त व्यापार विरोधी नीति के पीछे मुख्यतः संरक्षणवादीयों एवं वहाँ की जनता का बेरोजगारी एवं वेतन – कटौती को लेकर भय है, जिसके परिणामस्वरूप आज पूरा पश्चिमी जगत मुक्त व्यापार के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। अतः संरक्षणवादी विचारक यह मानते है कि प्रत्येक सरकार को देशहित में अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों को संरक्षण प्रदान करने हेतु कुछ वैधानिक प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार होना चाहिए। संरक्षणवादी व्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात् हम कह सकते हैं

3. संरक्षणवाद दीर्घकालिक वृद्धि हेतु आवश्यक

1870 – 90 के काल में यूरोप में आर्थिक एवं औद्योगिक वृद्धि के लिए संरक्षणवाद को आवश्यक समझा जाता था। इस काल में जी.एन.पी. वृद्धि दर जहाँ 2.61 एवं औद्योगिक वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी, वहीं उदारीकरण के पश्चात् ये दरें घटकर क्रमशः 1.71 एवं 1.8 प्रतिशत हो गई। यह तथ्य स्वयं में वैश्वीकरण पर पुनर्विचार करने हेतु पर्याप्त हैं।

3.1 शिशु उद्योगों के संरक्षण हेतु

संरक्षणवादी विचारक विकास की तीव्र प्रतिस्पर्धा से नवीन उद्योगों को सरंक्षण प्रदान करना आवश्यक मानते है जैसा कि ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रान्ति हेतु एवं अमेरिका ने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संरक्षणवादी नीतियों का आश्रय लिया।

3.2 राजनीतिक स्वतंत्रता हेतु आर्थिक स्वतंत्रता प्राथमिक शर्त

यह बहुत ही सामान्य एवं सार्वभौमिक सत्य है कि कोई भी राष्ट्र तब तक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र एवं सम्प्रभु होकर निर्णय नहीं कर सकता जब तक वह आर्थिक रूप से अन्य राष्ट्रों पर निर्भर है। अतः वैश्वीकरण वैश्विक वित्त तो उपलब्ध करवाता है लेकिन कमजोर राष्ट्र इस एवज में अपनी सम्प्रभुता खो बैठते है।

4. आर्थिक सशक्तीकरण

संरक्षणवादी विचारक संरक्षणवाद को एक राष्ट्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए भी आवश्यक मानते है। उनके द्वारा एक राष्ट्र टैरिफ, कोटा, वीजा एवं अन्य नियमों के माध्यम से एक ओर अपना व्यापार घाटा कम कर सकते है तो वही दूसरी ओर, रोजगार एव औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ा सकते है। अतः हम कह सकते है, कि एक देश की स्थानीय समस्याओं के लघुकालिक निराकरण हेतु संरक्षणवाद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसे वैश्वीकरण के 'साइड–इफेक्ट' के निवारण हेतु रामबाण औषधि समझना हमारे लिए एक ऐतिहासिक भूल सिद्ध हो सकता है।

5. निष्कर्ष

आज हमें आवश्यकता है एक ऐसी सन्तुलित व्यवस्था की जिसका दृष्टिकोण वैश्विक हो एवं क्रियान्वयन स्थानीय हो अर्थात् 'ग्लोकल एप्रोच' जिसमें 'थिंक ग्लोबल' एवं एक्ट लोकल' पर बल दिया जाता है। 'ग्लोकल' वास्तव में आर्थिक गतिविधियों का वैश्विक एकीकरण है। इसका उद्देश्य दुनिया का कोई भी उत्पादक विश्व के किसी भी कोने में सस्ती एवं बेहतर तकनीक से उत्पादन करे और उसे दुनिया के किसी भी बाजार में बेचकर वाजिब लाभ कमाएँ। अतः सारांश में कह सकते है कि, 'ग्लोकल' में 'वसुधैव–कुटुम्बकम' का भाव निहित है। जिसमें अतीत का अनुभव, वर्तमान की ताकत एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने का समाधान समाहित है। हमारे समक्ष 'ग्लोकल' दृष्टिकोण का सबस सफल उदाहरण स्वयं महात्मा गांधी है। जिन्होंने यह स्वीकार करते हुए कहा कि –

''मैं, ऐसा घर नहीं चाहता जो चारों ओर से दीवारों से घिरा हो और जिसकी खिड़कियाँ जाम हो चुकी हो वरन् मैं एक ऐसा खुला घर पसन्द करूँगा जहॉ चारों और की स्वस्थ हवाएँ बहे, लेकिन मैं उस तूफान को कभी अनुमति नहीं दूँगा जो मेरे पैर ही उखाड़ फेंके।''

6. संदर्भ ग्रन्थ सूची।

- द हिन्दु
- फ्रन्ट लाईन
- इण्डिया टूडे
- इन्टरनेट
- शैला एल, क्रोचर वैश्वीकरण और संबंध : एक बदलती हुई दुनिया की पहचान की राजनीति (2008) P.10
- गाई पेफरमैन : वैश्वीकरण का आठवा नुकसान 2011 P.80
- स्नीजेजाना मैटेकिक के द्वारा साक्षात्कार, (जून 2005) Htm (http://www.galerija-rigo.hr/os/chomsky)
- वेड, रॉबर्ट हंटर : विश्व आय वितरण में बढ़ती हुई असमानता, वित्त एवं विकास, वॉल्यूम 38, (2001) P.108
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 1992 मानव विकास रिपोर्ट (1992)
- इन्टरनेट Wikipedia.org.
  www.carnegieendowment.org